

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

सक्षम- आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य

यह निगरानी पकरण कमांक-3649-तीन/2013 विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक-241/अपील/2012-2013 पारित आदेश, दिनांक-13.-08-2013

रिव्यू प्रकरण कमांक- 3499/तीन/2014 विद्यावती विरुद्ध रामाश्रय एवं रिव्यू प्रकरण कमांक-437 5/तीन/13 प्रमोद कुमार विरुद्ध रामाश्रय में भी समान पक्षकार एवं समान भूमि विवाद होने से इसी आदेश से निराकृत किए जा रहे हैं ।

- 1-विद्यावती पत्नी रामलखन मिश्रा
- 2-प्रमोद कुमार तनय रमागोबिन्द मिश्रा
दोनों निवासी ग्राम गौरी तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. ।

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1-रामाश्रय शर्मा तनय रामजी शर्मा,
पेशा कृषि व बकालत निवासी म0नं011/13 तिलक नगर जिला रीवा ।
- 2-के.पी. मिश्रा तनय स्व. कमला प्रसाद मिश्रा
निवासी ग्राम गजरहा, तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. ।
- 3-श्रीमती सोनियां कुशवाहा पत्नी राजभान कुशवाहा
निवासी ग्राम चिरकिटिहा तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. ।

.....अनावेदकगण

श्री बृजेन्द्र सिंह अधिवक्ता, आवेदकगण
श्री रामाश्रय शर्मा अभिभाषक अनावेदकगण

आ दे श ::

(पारित दिनांक- 2 - 12 - 2015)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग के द्वारा पारित आदेश दिनांक-13.-08-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2. प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक श्री रामाश्रय शर्मा पुत्र श्री रामजी शर्मा द्वारा भू-राजस्व संहिता की धारा 107 (5) का आवेदन दिनांक-28.1.2011 को प्रस्तुत कर भूमि खसरा क्रमांक-77/88/1 क एवं 77/88/1 ख ग्राम चिरकिटिहा सर्किल पहाड़ी जिला रीवा का नक्शा सुधार करने का निवेदन किया गया । प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से कलेक्टर रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक-22/अ-74/2010-2011 पंजीबद्ध कर उभय पक्ष की सुनवाई कर प्रकरण में पारित आदेश दिनांक-30.10.2012 से अनावेदक रामाश्रय द्वारा चाही गयी सहायता न्यायालय की अधिकारिता के बाहर होने से एवं अधिकारित रहित होने से अनावेदक की ओर से प्रस्तुत नक्शा सुधार का आवेदन दिनांक-28.01.2011 निरस्त कर दिया गया । कलेक्टर के उक्त आदेश दिनांक-30.10.12 के विरुद्ध अनावेदक रामाश्रय शर्मा द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक-241/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक-13.08.2013 से यह अंकित करते हुए निरस्त किया गया कि जब तक पूर्व की स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक बाद में कय की गयी भूमि का बटांकन ठीक नहीं हो पायेगा । विक्रय पत्र की चौहदी के आधार पर ही तरमीम की कार्यवाही की जानी चाहिए । अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा जो नक्शा संशोधन का सुधार चाहा गया है वह अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय के नक्शा तरमीम आदेश दिनांक-11.6.2010 एवं उनके पक्ष में हुए विक्रय पत्र दिनांक-29.05.2010 के अनुसार चाहा गया है जिसके अनुसार सुधार हेतु संहिता की धारा 107 (5) के तहत कलेक्टर के समक्ष अनावेदक 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त आवेदन दिनांक-28.1.2011 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह भी कहा गया कि अनावेदक यदि तहसीलदार के नक्शा तरमीम आदेश दिनांक-11.6.2010 से किसी भी प्रकार से व्यथित था तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती देना चाहिए थी, किन्तु आज दिनांक तक अनावेदक द्वारा तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक-11.06.2010 के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील/निगरानी आदि नहीं की गयी है । अनावेदक उक्त नक्शा तरमीम आदेश दिनांक-11.06.2010 के विपरीत नक्शा तरमीम करारकर आवेदक गण के कब्जे की भूमि व मकान को हड़पना चाहता है एवं आवेदक को बेदखल करना चाहता है, जो अबैधानिक है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया कि "अनावेदक क्रमांक-1 का यह कहना कि विवादित भूमि क्रमांक-77/88/1 क व ख का नक्शा तरमीम दिनांक-24.5.09 को राजस्व निरीक्षक सर्किल पहाड़ी द्वारा किया गया है और उसी के अनुसार विक्रय पत्र दिनांक-29.05.2010 में चौहदी अंकित की गयी है" । अनावेदक क्रमांक-1 के उक्त कथन के संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह बतायी गयी कि उसी हल्का पटवारी शाहपुरा द्वारा दी गयी टीप दिनांक-20.09.2009 के अनुसार दिनांक-20.09.2009 तक कोई नक्शा तरमीम नहीं हुआ, तब दिनांक-24.05.09 की नक्शा तरमीम की कार्यवाही किस प्रकार एवं किस अधिकारी द्वारा की गयी । इससे स्पष्ट है कि दिनांक-24.05.09 की नक्शा तरमीम की कार्यवाही बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अनावेदक द्वारा फर्जी तरीके से करायी गयी है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि क्या राजस्व निरीक्षक को किसी भी पक्षकार के आवेदन पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के एवं बिना सरहदी एवं हितपद्ध व्यक्तियों को सुनवाई एवं सूचना दिए नक्शा तरमीम करने या उसका प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी की ओर भेजने का अधिकार है । अर्थात बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व निरीक्षक को नक्शा तरमीम करने का प्रस्ताव तैयार करने का ही अधिकार नहीं है तब नक्शा तरमीम करने का अधिकार

कैसे हो सकता है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के पिछली तारीख में दिनांक-24.05.09 अंकित कर फर्जी एवं कूट रचित नक्शा तरमीम कर अनावेदक गण को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाए जाने का कार्य किया गया है जो अबैधानिक होकर आपराधिक किस्म का कार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह भी बताया गया कि आवेदक गण का विक्रय पत्र दिनांक-31.07.2009 का है, जिसके द्वारा 0.65 डि0 भूमि कय की गयी है, जिसमें चौहद्दी भी अंकित है, उक्त अंकित चौहद्दी में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आवेदिका के पूरव में विक्रेता का बचत रकवा, पश्चिम में बचत रकवा विक्रेता का, दक्षिण में बचत रकवा विक्रेता का एवं उत्तर में सीमा ग्राम धरभरी की। इसी प्रकार आवेदक कमांक-2 का विक्रय पत्र भी दिनांक-31.07.09 का है जिसमें भी स्पष्ट रूप से चौहद्दी अंकित है जिसके अनुसार पूरव में विद्यावती की भूमि पश्चिम में आवेदक कमांक-2 द्वारा कय की गयी भूमि 20 डि0 तत्पश्चात विक्रेता की बचत भूमि दक्षिण में बचत रकवा विक्रेता एवं उत्तर में ग्राम धरभरा की सीमा। अनावेदक का विक्रय पत्र दिनांक-29.05.2010 का है, जिसमें अंकित चौहद्दी मौके पर उपलब्ध भूमि के विपरीत अंकित है, विक्रय पत्र के अनुसार उत्तर में ग्राम का रास्ता एवं सीमा धरभरा ग्राम की, दक्षिण में कृष्णा प्रसाद मिश्रा की भूमि एवं पूरव में आनंद बगैरह की भूमि तथा पश्चिम में विद्यावती बगैरह की भूमि। इस प्रकार यह चौहद्दी मौके पर उपलब्ध भूमि के विपरीत है। वही आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि कय सुदा भूमि पर आवेदक गण का मकान एवं कुआ आदि बना हुआ है यदि गलत जगह पर था तो विक्रेता को तभी आपत्ति करना चाहिए थी जब आवेदक गण द्वारा कयसुदा भूमि पर मकान एवं कुआ आदि बनाया गया था। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि आवेदक गण का सही एवं कय सुदा भूमि पर ही मुताविक विक्रय पत्र कब्जा एवं मकान बना है जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा पूर्व में नक्शा तरमीम किया गया है जिसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी उठाए जाकर अधीनस्थ न्यायालय के ध्यान में लाये गये थे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों पर बिना विचार किए ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण में कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को कार्यवाही करने के आदेश दिए जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जबकि अपील में प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त को स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए था, जो निरस्त किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां दुहराये जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन्हें विचार में लिया जा रहा है। निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अनावेदक स्वयं उपस्थित जिनके द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि आवेदक गण द्वारा भूमि सर्वे कमांक-77/88/1 क से कय किया है तथा उसके बाद अनावेदक कमांक-2 व 3 द्वारा भूमि कय की गयी है, तथा भूमि कमांक-77/88/1 क व 77/88/1 ख से अनावेदक कमांक-1 रामाश्रय द्वारा भूमि कय की गयी है। उक्त भूमियों में से आवेदक गण द्वारा कोई भूमि कय ही नहीं की गयी है। यह भी कहा गया कि आवेदक गण द्वारा सड़क के किनारे की भूमि हड़पने के उद्देश्य से बिक्रय पत्र में अंकित चौहद्दी के विपरीत कब्जा करना चाहते हैं। अनावेदक कमांक-1 के विक्रय पत्र के अनुसार आवेदक गण की भूमि अनावेदक की भूमि के पश्चिम की तरफ स्थित है जिसकी चौहद्दी अनावेदक-1 के विक्रय पत्र में अंकित है जिसके अनुसार अनावेदक की भूमि सड़क से लगी है। नक्शा दिनांक-24.5.09 में खसरा कमांक-77/88/1 क रकवा 1.95 ए. एवं खसरा कमांक-77/88/1 ख रकवा 1.27 ए. भूमि का नक्शा

तर्मीम कर बटांकित करने की टीप अंकित है जिसके अनुसार अपीलार्थी ने भूमि कय किया है । उक्त नक्शे की प्रति जो विकय पत्र के साथ संलग्न है जिसके अनुसार ही वर्तमान में नक्शा है जिसे आधार मानकार आवेदक द्वारा नक्शा संशोधन का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अनावेदक द्वारा जब भूमि कय की गयी थी उस समय के नक्शे की स्थिति को परिवर्तित कर नवीन नक्शा तहसीलदार द्वारा तर्मीम कर तैयार किया गया जिसकी अधिकारिता तहसीलदार को नहीं थी । आवेदक द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया है कि पूर्व भूमि स्वामी विक्रेता रामाश्रय शुक्ला द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत कर यह स्वीकार किया गया है कि विकय पत्रों में अंकित चौहददी के अनुसार सभी क्रेताओं को भूमि विकय की गयी है जिसके अनुसार नक्शा संशोधन की सहमति भी दिया जाना बताया गया है । यह भी बताया गया विक्रेता द्वारा प्रत्येक क्रेता को अंकित चौहददी अनुसार कब्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे, जो अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिका में अंकित होने से यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है । निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया है । इसके साथ ही रिव्यू प्रकरण कमांक-3499/तीन/14 एवं रिव्यू कमांक-4375/तीन/13 भी इन्ही पक्षकारों एवं इसी बादग्रस्त भूमि से संबंधित होने से इसी के साथ निराकृत करने का अनुरोध किया गया है ।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक-13.8.13 में यह आधार लेते हुए कि अनावेदक द्वारा विकय पत्र के आधार पर कय किए गये चौहददी के अनुसार बटांकन चाहा गया है जब तक पूर्व की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक बाद में कय की गयी भूमि की बटांकन ढीक नहीं हो पायेगा । अपर आयुक्त द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रतिवेदन पर आक्षेप लेते हुए यह लिखा जाकर कि अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रतिवेदन के पृष्ठ कमांक-2 पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मौके पर खाली पडी भूमि जिसमें किसी का कब्जा नहीं है, वह भूमि किसकी है । अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रतिवेदन को सही न मानते हुए कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक-30.10.2012 को विधिविरुद्ध मानते हुए निरस्त किया जाकर विकय पत्र में अंकित चौहददी के आधार पर ही तर्मीम कार्यवाही करने के तहसीलदार को आदेश देते हुए अपील स्वीकार की गयी है । प्रथमतः तो अपर आयुक्त के आदेश की प्रकृति एवं मूल भवना प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने जैसी है जो संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । द्वितीय यह कि विद्वान अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदक गण द्वारा विवादित भूमि में भूमि विकय पत्र दिनांक-31.07.09 को कय की गयी है एवं अनावेदक द्वारा भूमि विकय पत्र दिनांक-29.5.2010 को कय की गयी है, जो आवेदक गण के बाद में कय की गयी है। अनावेदक द्वारा अपने तर्कों में यह बताया गया कि उसके द्वारा विकय पत्र दिनांक-29.05.2010 से भूमि नक्शा तर्मीम दिनांक-24.5.2009 के आधार पर कय की गयी है। पटवारी द्वारा दिनांक-24.9.2009 को यह टीप दी गयी है कि "खसरे में उपरोक्त भूमि का बटांकन है किन्तु वर्तमान नक्शे में बटांकन नहीं है"। उपरोक्त टीप से यह तो स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा जब भूमि कय की गयी थी उस समय भूमि के नक्शे में कोई बटांकन नहीं था और जब दिनांक-24.9.09 तक नक्शे में कोई बटांकन या तर्मीम नहीं थी तब यह कहना कि दिनांक-24.5.09 के नक्शा तर्मीम के आधार पर अनावेदक द्वारा भूमि कय की गयी है निराधार है वहीं उक्त तर्मीम दिनांक-24.5.09 की पुष्टि के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि यह तर्मीम किस अधिकारी के किस आदेश दिनांक से किया गया है उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि नक्शा तर्मीम दिनांक-24.5.09 पिछली तारीखों में किया

जाना परिलक्षित हो रहा है। इसके साथ ही अधीक्षक भू-अभिलेख, भू-प्रबंधक शाखा द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक-28.3.11 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आवेदकगण कय की गयी भूमि पर मौके पर मकान एवं कुआ आदि बना कर काबिज है जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक-11.6.10 से नक्शा तर्मीम किया गया है वहीं यह भी अंकित किया गया है कि मौके पर दौरान जांच प्रमोद सिंह द्वारा एक नक्शा प्रस्तुत किया गया जिसमें किसी प्रकार की तर्मीम नहीं थी। वही यह भी अंकित किया गया है कि जांच के समय मौके पर प्रस्तुत प्रत्येक विकय पत्र में हल्का पटवारी द्वारा जारी भिन्न-भिन्न नक्शा संलग्न पाये गये हैं जिससे हल्का पटवारी की भूमिका संदेहास्पद होने का भी उल्लेख किया गया है। अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन रीवा द्वारा मौके की स्थिति का नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा मौके की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया गया है वही यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस भूमि पर मौके पर कौन-कौन हितग्राही क्रेता काबिज है प्रस्तुत नक्शे में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। यह तथ्य भी विचारणीय है कि आवेदक द्वारा विक्रेता से भूमि कय कर जब मकान एवं कुआ आदि का निर्माण किया गया तब यदि आवेदक द्वारा कय स्थल के विपरीत मकान का निर्माण किया जा रहा था तो उसी समय विक्रेता को उसे रोकना चाहिए था किन्तु प्रकरण में इस आशय का कोई अभिलेखीय आधार नहीं मिला है कि आवेदक को मकान बनाने या कब्जा करने से रोका गया हो, और न ही अनावेदक तथा विक्रेता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहित कहीं भी यह कहा गया कि आवेदक को कब्जा करने से रोका गया और इनके द्वारा बल पूर्वक कय स्थल के विपरीत कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि आवेदक गण द्वारा कय किए गये स्थल पर ही कबिज होकर एवं मकान विकय पत्र में अंकित स्थिति के अनुसार ही बनाया गया है। कलेक्टर रीवा द्वारा जारी आदेश दिनांक-30.10.2012 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 107 (5) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कलेक्टर से विकय पत्र दिनांक-29.5.2010 में अंकित चौहद्दी एवं संलग्न नक्शा के आधार पर नक्शा संशोधन कर नक्शा में बटांकन प्रविष्टि की कार्यवाही चाही गयी थी जिसकी अधिकारिता कलेक्टर को न होकर संहिता की धारा 70 में तहसीलदार को होने से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर के विचारक्षेत्र से वाहर होने से निरस्त किया गया है जिसे अपर आयुक्त द्वारा विधिविरुद्ध निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित करने में कानूनी भूल की गयी है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक-13.8.13 निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक-30.10.2012 स्थिर रखते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन शाखा रीवा के जांच प्रतिवेदन दिनांक-28.3.2011/25.3.11 के अनुसार तथा इसके संलग्न मौके की स्थिति के कब्जे एवं विकय पत्रों में अंकित चौहद्दी के अनुसार तैयार किए गये नक्शा दिनांक-15.3.2011 के आधार पर नक्शा तर्मीम की कार्यवाही करें। पुनः नक्शा तर्मीम की कार्यवाही पूर्ण होने तक पूर्व नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक-11.6.10 स्थिर रहेगा तथा नवीन आदेश पारित होने पर यह आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा।

चूंकि रिव्यू प्रकरण क्रमांक-3499/तीन/2014 विद्यावती विरुद्ध रामाश्रय एवं रिव्यू प्रकरण क्रमांक-4375/तीन/13 प्रमोद कुमार विरुद्ध रामाश्रय में भी समान पक्षकार एवं समान भूमि विवाद होने से तथा आवेदक एवं अनावेदक द्वारा भी उक्त दोनों रिव्यू प्रकरणों का निराकरण भी इसी प्रकरण में पारित आदेश के साथ करने का निवेदन किए जाने पर उभय पक्ष के निवेदन को स्वीकार किया जाकर इस निगरानी प्रकरण क्रमांक-3649/तीन/13 विद्यावती विरुद्ध रामाश्रय में पारित यह आदेश उक्त दोनों रिव्यू प्रकरणों में भी प्रभावशील होगा।

उपरोक्त निर्देशो के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।



(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

